न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस

अपील संख्याः 01/17 **निर्णय दिनांकः– 16.10.2018**

1. मु. पूरीदेवी पत्नी उदाराम जाति कुम्हार निवासी अगनेउ हाल आबाद चक 1 बीजेएम तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार कोलायत।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 02–03–2009
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत

उपस्थितः–

1. श्री रामचन्द्र सिंह भाटी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कॉसनिया, राजकीय, अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के आदेश दिनांक 02–03–2009 जिसके द्वारा अदालत मातहत द्वारा मनमाने व स्वेच्छाधारी तरीके से रास्ता निरस्त करने के आदेश प्रदान किये गये है, के विरुद्व इस न्यायालय में भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट की खातेदारी भूमि चक 1 बीजेएम के मुरब्बा नम्बर 133/58 के किला नम्बर 18 ता 23 में 5 बीघा 4 बिस्वा व मुरब्बा नम्बर 133/51 के किला नम्बर 1 ता 3, 20 ता 25 में 9 बीघा कुल 14 बीघा 4 बिस्वा

भूमि स्थित है। जिस पर अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा तमाम राजस्व रिकार्ड में अपीलांट का नाम बतौर खातेदार काश्तकार चला आ रहा है। अपीलांट की उपरोक्त भूमि के चिपते ही चक 1 बीजेएम के मुरब्बा नम्बर 133/57 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में से मुरब्बा नम्बर 133/58 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20 व 21 में से मुरब्बा नम्बर 133/59 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20 व 21 में से मुरब्बा नम्बर 133/60, 133/61, 133/62 में से रास्ता आगे जाता है। अपीलांट को अपने खेत में आवगमन हेतु यही एकमात्र रास्ता स्वीकृतशुदा उपलब्ध है तथा अपीलांट व अन्य काश्तकार इसी रास्ते से आवागमन करते आ रहे है।

उन्होनें आगे बताया कि चक 1 बीजेएम के कुछ लोगों ने दुरभि संधि करते हुए अदालत मातहत के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए उक्त स्वीकृतशुदा रास्ते को निरस्त करने का प्रस्तुत किया गया। जिस पर अदालत मातहत द्वारा संबंधित तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त की गई। उक्त रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि अपीलांट के पास उपरोक्त स्वीकृतशुदा रास्ता ही आवागमन हेतु उपलब्ध है। उक्त तथ्य की रिपोर्ट अदालत मातहत के समक्ष होने पर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 02—03—2009 को अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये एकतरफा तौर पर उपरोक्त स्वीकृतशुदा रास्ते को निरस्त कर दिया गया। जिससे अपीलांट के हक व अधिकारों पर कुठाराधात हुआ है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि पर रास्ता कायम करने से पूर्व संबंधित तहसीलदार प्रस्तुत नहीं की गई। जबकि यह विधि का सर्वमान्य सिद्वान्त है कि रास्ते के प्रकरणों में तहसीलदार स्वयं अथवा जहॉ आवश्यक हो पीठासीन अधिकारी स्वयं मौके का निरिक्षण करते हुए मौके की वास्तविक स्थिति के अनुसार विधि सम्मत निर्णय पारित करें। प्रस्तुत प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा रास्ते से संबंधित नियमों की धज्जियॉ उड़ाते हुए एकतरफा तौर अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये ही आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अदालत मातहत द्वारा उक्त आदेश पारित करने से पूर्व किसी प्रकार के रिकार्ड

का कोई अवलोकन नहीं किया गया है। यदि अदालत मातहत द्वारा तत्समय ऐसा किया जाता तो उनके समक्ष यह स्थिति स्वमेव प्रस्तुत हो जाती कि अपीलांट के पास उपरोक्त स्वीकृतशुदा रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता आवागमन हेतु उपलब्ध नहीं है।

आदेश जैर अपील मात्र अपीलांट को तंग व परेशान करने की नियत से कानून का दुरूपयोग करते हुए दुराभि संधि से प्राप्त किया गया आदेश है जो निरस्त किया जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

मियांद के संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा कथन किया गया कि चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है। ऐसे एकतरफा आदेश पर मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 2015 पेज 628 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रकरण में चक 1 बीजेएम के काश्तकारों द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि चक 1 बीजेएम के मुरब्बा नम्बर 133/57, मुरब्बा नम्बर 133/58, मुरब्बा नम्बर 133/59 व मुरब्बा नम्बर 133/60 में आम रास्ता स्वीकृतशुदा भूमि के पास ही पक्की सड़क बनी होने से उक्त रास्ते की आवश्यकता नहीं है अतः उक्त स्वीकृतशुदा रास्ता निरस्त किया जावे। इस संबंध में अदालत मातहत द्वारा संबंधित तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त की गई। उक्त रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि चूंकि इन्हीं मुरब्बों में पक्की सड़क निर्मित होकर चालु है, रास्ता उपयोग में नहीं लिया जा रहा है। जनता रोड़ से जाती है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर पूर्व में स्वीकृतशुदा रास्ते को निरस्त करने के आदेश प्रदान किये गये है। चूंकि चकवासियों के आवागमन हेतु पक्की सड़क बन चुकी है तथा इस रास्ते का उपयोग व उपभोग नहीं

किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा उपरोक्त स्वीकृतशुदा रास्ते को निरस्त करने में कोई कानूनी त्रूटि कारित नहीं की गई हैं। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 02—03—2009 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 02—01—2017 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील के माध्यम से चक 1 बीजेएम के मुरब्बा नम्बर 133/57, मुरब्बा नम्बर 133/58, मुरब्बा नम्बर 133/59 व मुरब्बा नम्बर 133/60 में आम रास्ता स्वीकृतशुदा को निरस्त करने के आदेश प्रदान किये गये है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(3) इस संबंध में हमने अपीलाधीन आदेश, मौका रिपोर्ट व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में अदालत मातहत के समक्ष चकवासियों राजकरम, मन्दरसिंह, रामचन्द्र आदि ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर चक 1 बीजेएम के मुरब्बा नम्बर 133/57, मुरब्बा नम्बर 133/58, मुरब्बा नम्बर 133/59 व मुरब्बा नम्बर 133/60 में आम रास्ता स्वीकृतशुदा के पास पक्की सड़क बनी होने से उपरोक्त रास्ते की आवश्यकता नहीं होने व उपयोग व उपभोग में नहीं आने से उक्त रास्त को निरस्त करवाने की इस्तदुआ की गई।

(4) प्रकरण में सर्वप्रथम यह कथन उल्लेखनीय है कि रास्ते के प्रकरणों में प्रावधान यह है कि मौका रिपोर्ट संबंधित तहसीदार द्वारा व आवश्यक हो तो स्वयं पीठासीन अधिकारी द्वारा मौके पर उपस्थित होकर समस्त पक्षकारान् की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की जानी होती है। प्रस्तुत प्रकरण में मौका रिपोर्ट रास्ते के प्रावधानों के विपरीत जाकर केवल मात्र संबंधित पटवारी द्वारा बिना अपीलांट की उपस्थिति के तैयार की गई है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा स्वयं रास्ते के आज्ञापक प्रावधानों का उल्लंधन करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया जाना परिलक्षित होता है।

(5) प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि अदालत मातहत द्वारा रास्ते जैसे महत्वपूर्ण प्रकरण में जहॉ एक तरफ तो अपीलांट की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु स्वीकृतशुदा रास्ते को निरस्त किया गया वहीं दूसरी तरफ अपीलांट को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान नहीं करते हुए एकतरफा तौर पर आदेश पारित किया गया है।

जबकि प्रकरण में पटवारी रिपोर्ट से यह साबित है कि पूर्व में स्वीकृतशुदा रास्ते से ही अपीलांट अपनी खातेदारी भूमि पर आवागमन करता आ रहा है। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के संबंध में जो रिपोर्ट प्राप्त की गई वह मात्र पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट व अन्य पक्षकारों की अनुपस्थिति में एकतरफा तौर पर तैयार किया जाना स्पष्ट है।

इसी प्रकार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत चकप्लान के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादगत् भूमि के आवागमन हेतु रास्ता पूर्व में उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को पूर्व में स्वीकृतशुदा रास्ते को बन्द करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है। इस संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 2015 पेज 628 में अभिनिर्धारित किया गया है किः—

Rajasthan Land Revenue Act, Section-10-Special appeal against order of single bench of the Board-Held-Existing public way government land can not be closed by S.D.O on application by private party - the decision of S.D.O. is without jurisdiction and the decision can be set aside anytime by appellate court-The decision of sigle bench is legally sound and needs no interference-Decision of single bench upheld. उपरोक्त नजीर मामलें पर पूर्णतया चस्पा होती है।

7. अतः उक्त विवेचना व नजीर के प्रकाश में अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत का आदेश दिनांक 02—03—2009 निरस्त किया जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 16.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर